उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्याः /xxxi(15)/G-2013-40(सा0)/2016
देहरादूनः दिनांक 29 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को प्रदत्त अतिरिक्त सुविधाओं विषयक कार्यालय ज्ञाप सं0-1064/xxxi(15)/G-2013-40(सा0)/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2016 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए स्पष्ट किया जाना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16(5) में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें, वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं। अतः राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा अधिनियम,1991 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं सपठित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत तय की जाती हैं।

2. राज्य सूचना आयुक्तों की सुविधायें वहीं होंगी जो कि कार्यालय ज्ञाप सं0-1064/xxxi (15)/G-2013-40(सा0)/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2016 में उल्लिखित हैं यथाः-

1. **मकान किराया भत्ताः-** मुख्य सचिव उत्तराखण्ड के समतुल्य आवास की सुविधा। यदि मुख्य सचिव उत्तराखण्ड के समतुल्य आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें वही आवासीय भत्ता देय होगा जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव को अनुमन्य करायी जाती है।

2. **यात्रा भत्ताः-**
   राज्य सूचना आयुक्तों को राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समतुल्य यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जायेगा तथा सूचना आयोग से सेवानिवृत्ति के समय भी राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समतुल्य यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जायेगा।

3. **अवकाशः-**
   (क) राज्य सूचना आयुक्तों को प्रत्येक 06 माह की सेवा के उपरान्त 15 दिनों का उपार्जित अवकाश देय होगा।

   (ख) राज्य सूचना आयुक्त को वर्ष भर में 14 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।

   (ग) राज्य सूचना आयुक्तों को अवकाश मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

4. अवकाश नकदीकरणः—

राज्य सूचना आयुक्तों को उनकी सेवनिवृत्ति के उपरान्त उनके द्वारा अर्जित उपार्जित अवकाश के बदले अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य किया जायेगा।

5. अवकाश यात्रा सुविधाः—

राज्य सूचना आयुक्तों को 05 वर्ष के सेवाकाल में एक बार राज्य के मुख्य सचिव के समतुल्य अवकाश यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी।

6. चिकित्सा प्रतिपूर्तिः—

राज्य सूचना आयुक्तों को उनके स्वयं पर की गयी चिकित्सा तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों की चिकित्सा के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति राज्य के मुख्य सचिव के समतुल्य अनुमन्य होगी।

7. वाहन सुविधाः—

राज्य सूचना आयुक्तों को शासकीय कार्य हेतु स्टॉफ कार तथा स्थानीय यात्रा हेतु 200 लीटर प्रतिमाह की अधिकतम सीमा तक ईंधन अनुमन्य होगा।

8. दूरभाषः—

राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्यालय/आवास पर एस0टी0डी0 सुविधायुक्त तथा इंटरनेट सुविधायुक्त दूरभाष की सुविधा अनुमन्य होगी।

9. मोबाईलः—

राज्य सूचना आयुक्तों को रू0 15000/— तक की सीमा तक एक मोबाईल तथा रू0 1000 प्रतिमाह की दर तक मोबाइल कॉल्स की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

1390
संख्याः 1390 /xxxi(15)/G–2013–40(सा0)/2016 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव।